शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पंत्रांक विo्प्राo / 2018–19 दिनांक

आवंटन पत्र

सेवा में,

....

....

....

....

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एoएचoपीo घटक के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मौजा–उसायनी, तहसील–टूण्डला, फिरोजाबाद में स्थिति दुर्बल आय वर्ग भवन श्रेणी के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा उपरोक्त भवन के आवंटन हेतु एoएचoपीo के अन्तर्गत किये गये आवेदन पंजीकरण संo........................ विकास प्राधिकरण सर्वे पंजीकरण संo..... .... के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मौजा–उसायनी, तहसील–टूण्डला, फिरोजाबाद में दुर्बल आय वर्ग में भवन संo............... आवंटित किया गया है।

1. भवन के मूल्य की भुगतान प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः–

(क) अनुमानित लागत	रू0 4,50,000.00
(ख) घटाये–भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	रू0 1,50,000.00
(ग) घटाये–राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	रू0 1,00,000.00
(घ) आवंटी द्वारा कुल देय मूल्य	रू0 2,00,000.00
(ड़) घटाये–आवंटी द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि	रू0 5,000.00
(च) आवंटी द्वारा देय अवशेष धनराशि	रू0 1,95,000.00

2. अवशेष देय धनराशि रू0 1,95,000.00 आवंटन की तिथि से 18 माह के अन्तर्गत निर्धारित शिड्यूल के अनसार जमा करानी होगी।
3. आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के अन्तर्गत आवंटन धनराशि रू0 45000.00 जमा कराना होगा। आवंटन धनराशि विलम्ब से जमा कराने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। ऐसी स्थिति में ब्याज के लिए समय की गणना आवंटन पत्र निर्गत तिथि से की जायेगी।
4. अवशेष धनराशि रू0 1,50,000.00 आवंटन की तिथि से लगातार समान छः त्रैमासिक किश्तों में जमा कराना होगा। प्रथम त्रैमासिक किश्त की प्रारम्भ तिथि आवंटन की तिथि

मानी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किश्त का भुगतान न करने पर क्रम सं0 03 के अनुसार ब्याज देय होगा।

5. जी0एस0टी0 (**as per applicable**) अतिरिक्त देय होगी।
6. कॉमन सर्विसेस के अनुरक्षण हेतु 01 प्रतिशत अनुरक्षण फण्ड एवं 01 प्रतिशत कारपस फण्ड कुल. रू0 9000.00 कब्जा से पूर्व अतिरिक्त जमा कराना होगा।
7. यदि आवंटी द्वारा लगातार तीन मासिक किश्तें जमा नहीं की जाती है तो उक्त आवंटित भवन का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
8. निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किये जाने के पश्चात निर्धारित मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 50.00 का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साईज के लिए 4 (चार) फोटो जमा कराकर शासन के निर्दशानुसार पट्टा विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।
9. आवंटी को पट्टा विलेख निष्पादन के पश्चात निबन्धित पट्टा विलेख की प्रति उपलब्ध कराते हुये आवंटित भवन का कब्जा पत्र स्वयं प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।
10. आवंटी को विद्युत कनैक्शन स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा विद्युत संयोजन एवं बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग में किया जायेगा।
11. यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), फिरोजाबाद द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप के द्वारा गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाऐं प्रस्तुत की गयी थी अथवा डूडा, फिरोजाबाद द्वारा आपकी पात्रता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. अन्य नियम एवं शर्ते पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।
13. उक्त आवंटित सम्पत्ति की किश्तों आदि की धनराशि फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के खाता सं0 **60094837338** आई0एफ0एस0सी0 कोड **MAHB0001317**, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिरोजाबाद में जमा की जायेगी।

सम्पत्ति प्रभारी
फिरो0–शिको0 विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।